शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा सीापित राजकीय विश्वविद्यालय)
गढ़उमरिया, ओड़िशारोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001
ई– मेल :–**registrarsnpv@gmail.com**, वेबसाईट :–**https://snpv.ac.in**

क्रमांक 1207 / E / परीक्षा–गोपनीय / 2026 रायगढ़, दिनांक 02 / 06 / 2026

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त संबद्ध महाविद्यालय
शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

विषय :– सत्र 2025–26 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्नातक सम सेमेस्टर में अध्ययनरत नियमित एवं स्वाध्यायी एवं स्नातकोत्तर सम सेमेस्टर परीक्षार्थियों के आंतरिक परीक्षाओं के अंक ऑनलाईन पोर्टल पर प्रविष्ट किये जाने के संबंध में।

विषयान्तर्गत लेख है कि सत्र 2025–26 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्नातक सम सेमेस्टर में अध्ययनरत नियमित एवं स्वाध्यायी एवं स्नातकोत्तर सम सेमेस्टर परीक्षार्थियों के आंतरिक परीक्षाओं के अंक संबंधित महाविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय के ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से प्रविष्ट किये जाने हेतु निम्नानुसार तिथियां निर्धारित की जाती है :–

क्र.	विवरण	दिनांक / दिन
1	ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से आंतरिक परीक्षाओं के अंक की प्रविष्टि किये जाने हेतु प्रारंभिक तिथि	02 / 06 / 2026 दिन–मंगलवार
2	ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से आंतरिक परीक्षाओं के अंक की प्रविष्टि किये जाने हेतु अंतिम तिथि	11 / 06 / 2026 दिन–गुरूवार

नोट :–

1. समस्त संबद्ध महाविद्यालय उपरोक्त अनुसार निर्धारित तिथियों में ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से सावधानी पूर्वक आंतरिक परीक्षाओं के अंकों की प्रविष्टि सुनिश्चित करें।
2. आंतरिक परीक्षाओं के पर्ण / प्रतिपर्ण महाविद्यालय द्वारा सील बंद लिफाफा को विश्वविद्यालय के गोपनीय विभाग में दिनांक 12 / 06 / 2026 दिन–शुक्रवार तक जमा किया जाना अनिवार्य है।
3. त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि के लिए संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य उत्तरदायित्व होंगे।
4. निर्धारित तिथि में समस्त प्रक्रिया पूर्ण करना अनिवार्यतः सुनिश्चित करेंगे।
5. किसी भी दशा में आंतरिक परीक्षा के अंक ऑफलाईन अंक स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

आदेशानुसार

कुलसचिव

क्रमांक 1208 / E / परीक्षा–गोपनीय / 2026 रायगढ़, दिनांक 02 / 06 / 2026

प्रतिलिपि :–

1. माननीय कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. परीक्षा प्रभारी शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ को सूचनार्थ।
3. कक्ष प्रभारी परीक्षा / गोपनीय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. कार्यालय प्रति।

प्रभारी अधिकारी (गोपनीय)